भारतीय विधि संस्थान के वित्त वर्ष 2018-19 के कामकाज की समीक्षा के संबंध में वक्तव्य

विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय ने भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली को वित्त वर्ष 2018-19 के लिए सहायता अनुदान के रूप में 400 लाख रुपए की धनराशि जारी की थी।

- 2. संस्थान की वर्ष 2018-19 की वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षित लेखा का अवलोकन करने पर यह देखा गया है कि भारतीय विधि संस्थान ने निम्नलिखित गतिविधियों का आयोजन किया था:-
 - (i) निम्नलिखित अकादमिक कार्यक्रमों का संचालन किया गया:-

क्रम सं.	कार्यक्रम	अकादमिक वर्ष 2018-19 में
		विद्यार्थियों की संख्या
1.	पीएच.डी	08 विद्यार्थी
2.	एलएल.एम. (1 वर्ष)	38 विद्यार्थी
3.	स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम	303 विद्यार्थी
दाखिल किए गए विद्यार्थियों की कुल संख्या		349 विद्यार्थी

(ii) स्वतंत्र रूप से/अन्य संगठनों के साथ सहयोग करके विभिन्न सम्मेलनों/संगोष्ठी/कार्यशालाओं/प्रशिक्षणों का आयोजन किया गया:

(क) राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन:

सम्मेलन	
दिनांक 5 मार्च, 2019 को "भारतीय बौद्धिक संपदा का 3-डी परिदृश्य:	
विशिष्ट, विविध और लोकतांत्रिक'' विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का	
आयोजन किया गया।	
दिनांक 22 फरवरी, 2019 और 23 फरवरी, 2019 को "आपराधिक जांच	
में गुणवत्ता नियंत्रण" विषय पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन	
किया गया।	
दिनांक 29 नवंबर, 2018 से 1 दिसंबर, 2018 तक "डिजिटल रूपांतरण:	
संरक्षण, नीति और गोपनीयता'' (आईसीडीटी-2018) विषय पर	
अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया।	

(ख) मुद्दे और चुनौतियों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सहयोग से निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया:

क्रम. सं.	निम्नलिखित के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	
1.	दिनांक 30 मार्च, 2019 और 31 मार्च, 2019 को पुलिस और	
	मानवाधिकार विषय पर पुलिस कार्मिकः मुद्दे और चुनौतियां	
2.	दिनांक 23 फरवरी, 2019 और 24 फरवरी, 2019 को न्यायिक अधिकारी	
3.	दिनांक 19 जनवरी, 2019 और 20 जनवरी, 2019 को मानवाधिकार	
	विषय पर कारागार अधिकारी: मुद्दे और चुनौतियां	
4.	दिनांक 22 दिसंबर, 2018 को ''मीडिया और मानवाधिकार: मुद्दे और	
	चुनौतियां" विषय पर मीडिया कार्मिक और सरकारी जन संपर्क अधिकारी	
5.	दिनांक 17 नवंबर, 2018 और 18 नवंबर, 2018 को मानवाधिकार विषय	
	पर प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट: मुद्दे और चुनौतियां	
6.	दिनांक 6 अक्तूबर, 2018 को किशोर गृह, वृद्धाश्रम और स्वास्थ्य क्षेत्र में	
	कार्य कर रहे कर्मचारी	
7.	दिनांक 6 मई, 2018 से 13 मई, 2018 तक म्यांमार के विधि	
	अधिकारियों का आयोजन	

(ग) आयोजित संगोष्ठियां:

क्रम. सं.	संगोष्ठी
1.	दिनांक 27 मार्च, 2019 को कैदी माता-पिता के बच्चे: मुद्दे और चुनौतियां
2.	दिनांक 13 मार्च, 2019 और 14 मार्च, 2019 को अंतरराष्ट्रीय श्रम
	संगठन के सौ वर्ष और कार्य का भविष्य: श्रम नीति
3.	दिनांक 12 जनवरी, 2019 को महिला और बाल अधिकारों का संरक्षण:
	मुद्दे और चुनौतियाँ

- (घ) दिनांक 20 अप्रैल, 2018 और 21 अप्रैल, 2019 को ''बौद्धिक संपदा : प्रक्रिया और अभ्यास'' विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
- (iii) त्रैमासिक पत्रिकाओं, विधि समीक्षा, पुस्तक समीक्षाओं, वार्षिक सर्वेक्षण और आई.एल.आई. न्यूजलेटर का प्रकाशन किया गया। भारत पर विशेष जोर देते हुए बौद्धिक संपदा अधिकार और मानवाधिकार और भारत में राजद्रोह कानून और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संबंधी पुस्तकें प्रकाशित की गईं।
- (iv) संस्थान ने बौद्धिक संपदा अधिकार और साइबर विधि के ई—लर्निंग प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम भी संचालित किए।
- 3. सरकार भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली की वित्त वर्ष 2018-19 की रिपोर्ट से सहमत है।
